न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–289/2017/225 (2017/00289)

1. रामसुख पुत्र मांगीलाल बैरवा, जाति बैरवा, निवासी भंराई, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बदाम देवी पत्नि लादूराम, जाति बैरवा, निवासी भंराई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर ।
3. नायब तहसीलदार, उप तहसील कादेड़ा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 9.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 28/2014.

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः– 11.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 9.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या नया 125 पुराना 215 खसरा नंबर 23 रकबा 0.09 है0 व खसरा नंबर 26 रकबा 0.15 है0, खाता संख्या नया 126 पुराना 214 के खसरा नंबर 24 रकबा 0.24 है0 व खसरा नंबर 25 रकबा 0.35 है0 भूमि ग्राम भंराई, तहसील केकड़ी जिला अजमेर में अवस्थित है । आराजी खसरा नंबर 24 व 25 में 1/4 हिस्सा तथा खसरा नंबर 23 व 26 में 1/2 हिस्से की खातेदारी कब्जा काश्त प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का चला आ रहा है । वादिया/रेस्पो0 अपनी

खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नंबर 19 व 21 की दक्षिणी मेड़ से आती जाती है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 10.9.2014 को वादिया को खेत की मेड़ में आने जाने से रोक दिया और वादिया के आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है । वादिया को अपने खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता उपलबध नहीं होने से रास्ता उपलब्ध कराया जावे । साथ ही निवेदन किया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को आदेश दिया जावे कि वादिया को उसकी खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 19 व 21 की दक्षिणी मेड के पास से 30 फीट चौड़ा आम रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे । अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट भंराई में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी कराये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के जवाब व मौका रिपोर्ट के आधार पर अपने एपक्षीय आदेश दिनांक 9.6.2016 द्वारा वादिया का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 19 में से 360 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 21 में से 252 वर्गमीटर कुल रकबा 612 वर्गमीटर की वर्तमान पंजीयन दर्ज 5,06000/–रू0 नियमानुसार भुगतान कर रास्ते की राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का आदेश अस्पष्ट व कारण रहित है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को निर्णित करने में प्रावधान में दर्शाये तथ्य को नजरअंदाज कर बिना किसी प्रकार की जांच किये क्षेत्राधिकार से परे जाकर मनमाना आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तत्व मौजूद नहीं थे । उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वह नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं था जबकि उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 23, 24, 25 व 26 में जाने हेतु वह वैकल्पिक रास्ते का वर्षो से उपयोग उपभोग करता आ रहा है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व स्वंय के स्तर पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की । अधी0न्याया0 ने एकपक्षीय मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार, केकड़ी के जवाब को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पो0 संख्या 1 की उसकी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 23, 24, 25 व 26 में पहुंचने हेतु वर्षो से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करता आ रहा है । वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद उसने झूंठे व गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया था । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 खातेदारी आराजी खसरा नंबर 23, 24, 25 व 26 के समीप में खसरा नंबर 19 व 21 के उत्तरी मेड़ से रास्ते का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है जो रास्ता उसके सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की तामील कराये बिना, उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी अपने वादपत्र में यह कह कर आया है कि वादी अपनी खातेदारी खेत खसरा नंबर में आने जाने हेतु रास्ता प्रतिवादी/अपीलांट के खेत खसरा नंबर 19 व 21 की दक्षिणी मेड़ पर होकर आता जाता है जिसे प्रतिवादी ने रोक दिया है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जबकि आने जाने हेतु

रास्ता प्रतिवादी/अपीलांट के खेत खसरा नंबर 19 व 21 की उत्तरी मेड पर होकर है जिसे प्रतिवादी/अपीलांट ने उक्त रास्ते को किसी भी प्रकार से अवरूद्ध नहीं किया है बल्कि उक्त रास्ता आज भी कायम है जिसे नक्शे में भी डोटेड लाईन से दर्शाया गया है । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 9.6.2016 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसकी प्रार्थी को जानकारी नही हो सकी थी । अभी हाल ही में प्रार्थी अपने खेत पर खेती का कार्य कर रहा था तो मौके पर पटवारी आये ओर खेत पर नाप–चौप करने लगे तब ज्ञात हुआ कि उसके खसरा नंबर में से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 बदाम देवी के खेत पर आने जाने हेतु रास्ते के आदेश हुए है । तब प्रार्थी ने दिनांक 8.11.2017 को अधी0न्याया0 के आदेश की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु आवेदन किया जो उसी दिन प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या नया 125 पुराना 215 खसरा नंबर 23 रकबा 0.09 है0 व खसरा नंबर 26 रकबा 0.15 है0, खाता संख्या नया 126 पुराना 214 के खसरा नंबर 24 रकबा 0.24 है0 व खसरा नंबर 25 रकबा 0.35 है0 भूमि ग्राम भंराई, तहसील केकड़ी जिला अजमेर में अवस्थित है । आराजी खसरा नंबर 24 व 25 में 1/4 हिस्सा तथा खसरा नंबर 23 व 26 में 1/2 हिस्से की खातेदारी कब्जा काश्त प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का चला आ रहा है । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नंबर 19 व 21 की दक्षिणी मेड़ से आती जाती है लेकिन अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 10.9.2014 को वादिया को खेत की मेड़ में आने जाने से रोक दिया और वादिया के आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है । रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की है । रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने भी जवाब पेश किया है । अपीलांट बावजूद सूचना के अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत

धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 23, 26, 24, 25 आराजियात ग्राम भराई, तहसील केकड़ी में अवस्थित है । वादिया का खसरा संख्या 24 व 25 में 1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 23, व 26 में 1/2 हिस्सा है । वादिया अपनी खातेदारी आराजियात में सामने की आराजी खसरा संख्या 10 व 21 की दक्षिणी मेड़ से आती जाती रही है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 10.9.2014 को वादिया को खेत की मेड़ से आने जाने से रोक दिया तथा रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार रास्ता के आदेश पारित किये जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 9.6.2016 को प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का आवेदन पत्र धारा 251–राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है ।

9. अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा पटवारी हल्का एवं गिरदावरी हल्का द्वारा तैयार एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । यह भी कथन किया कि प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 1 अपनी खातेदारी आराजियात में खसरा नंबर 19 व 21 की उत्तरी मेड़ से आवागमन करती रही है इसके बावजूद उसके द्वारा खसरा नंबर 19 व 21 की दक्षिणी मेड़ से आवागमन किया जाना बताकर नवीन रास्ते के आदेश गलत तथ्यों के आधार पर पारित करवाये है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है ।

10. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 दिनांक 14.11.2014 को पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट की तलबी में विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने दिनांक 2.7.2015 को पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट पेश करने हतु निर्देशित किया है। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 7.4.2016 तक अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी में चलती रही । आदेशिका दिनांक 26.5.2016 के अनुसार प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनो पक्ष सहमत है । अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है । पक्षकारान दिनांक 9.6.2016 को लोक अदालत में उपस्थित हो । यह भी विचारणीय है कि जब दिनांक 26.5.2016 तक अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट को अधी0न्याया0 द्वारा तामील ही नहीं करवाई गई तो अपीलांट द्वारा किस प्रकार अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत् सहमती प्रदान की गई है । आदेशिका दिनांक 9.6.2016 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि को नोटिस तामील के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जवाब मौका रिपोर्ट पेश हुई। एकतरफा बहस सुनी गई । आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। अधी0न्याया0 की पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 1 को अटल सेवा केन्द्र भराई पर दिनांक 9.6.2016 को उपस्थित होने संबंधी नोटिस उपलब्ध है जिसकी पुस्त पर तामील कुनिन्दा ने यह अंकित किया है कि ‘‘रामसुख घर से बाहर गया हुआ है । नोटिस पत्नि को तामील कराया गया है । उक्त नोटिस पर नोशी पत्नि की अंगूठा निशानी अंकित है । अधी0न्याया0 ने उक्त तामील के उपरांत नोटिस में अंकित कैम्प कोर्ट पेशी दिनांक 9.6.2016 को ही अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थिति रहने पर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का एवं गिरदावरी हल्का एकतरफा की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पटवारी/गिरदावरी हल्का ने उक्त रिपोर्ट अपीलांट/अप्रार्थी को सूचित किये बिना एकतरफा में तैयार की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपीलमीमों में खेत खसरा नंबर 19 व 21 की उत्तरी मेड़ पर होने का कथन कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उपयोग में लिये जाने का कथन किया है, किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त वैकल्पिक रास्ते के संबंध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित रास्ते के संबधं में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में स्वंय तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में तैयार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, वैकल्पिक रास्ते की जांच कर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर